रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227195
CG-DL-E-27052021-227195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 2021/ज्येष्ठ 6, 1943**
No. 281]	**NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2021/JYAISTHA 6, 1943**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2021

सा.का.नि. 347(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व विभाग, (सीमाशुल्क मूल्यांकक) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीमाशुल्क के आयुक्तालय में मूल्यांकक के पद की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग, मूल्यांकक भर्ती नियम, 2021 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रदत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तरः-** उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि -** भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य विषयों उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नि जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मूल्यांकक	1194*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100-/ रुपए) और चार वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800/-) रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष संगनाधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की छूट है) **टिप्पणः-** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि यूपीएसी द्वारा विज्ञापित की जाएगी	**अर्हताएः** **1. धातु कर्मीय विशेषज्ञः-** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातुकर्म में स्नातक डिग्री; (ii) धातुकर्मी के तौर पर दो वर्ष का अनुभव **2. आभूषण विशेषज्ञः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) बहुमूल्य रत्नों (पुराने और नए बहुमूल्य रत्नों), आभूषणों के मूल्यांकन का दो वर्ष का अनुभव वांछनीयः रत्न विज्ञान में डिप्लोमा **3. रसायन और औषधि विशेषज्ञ** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन, औषधि या औषध विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) रसायन और औषधि में दो वर्ष का अनुभव;	आयु नहीं शैक्षणिक अर्हताः नही	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

	4. मशीनरी विशेषज्ञः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) यांत्रिक या विद्युत इंजीनियर के तौर पर दो वर्ष का अनुभव **5. टेक्सटाइल विशेषज्ञः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से टेक्सटाईल प्रौद्योगिकी में डिग्री (ii) टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी के तौर पर दो वर्ष का अनुभव **6. पेट्रोलियम प्रौद्योगिकीः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन में मास्टर डिग्री या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री (ii) पेट्रोलियम उत्पादों के परीक्षण और उत्पादन में दो वर्ष का अनुभव **7. इलेक्ट्रोनिक विशेषज्ञ** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग की डिग्री (ii) इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग के तौर पर दो वर्ष का अनुभव **8. लेदर टेक्नोलाजी विशेषज्ञ** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लेदर (टेक्नोलाजी) डिग्री (ii) लेदर टेक्नोलाजिस्ट के तौर पर दो साल का अनुभव **9. प्लास्टिक प्रौद्योगकीः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (प्रौद्योगिकी) स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक जिसमें मुख्य विषय पालिमर या प्लास्टिक प्रौद्योगिकी रहा हो **10. कागज प्रौद्योगकीः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (प्रौद्योगिकी) या प्राद्योगिकी स्नातक जिसमें मुख्य विषय कागज प्रौद्योगिकी रहा हो (ii) कागज की फैक्टरी में दो वर्ष का अनुभव **11. सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एपलिकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या टेक्नोलाजी में डिग्री जिसमें मुख्य विषय सूचना प्रौद्योगिकी रहा हो (ii) कंप्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी में दो		

	वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती जब चयन के किसी प्रकम पर संघ आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती या प्रोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति के द्वारा, या आमेलन के द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती की स्थिति में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।**	**वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में विचार-विमर्श किया जाना है।**
(10)	(11)	(12)	(13)
95% प्रोन्नति के द्वारा 5% सीधी भर्ती के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में विशेषज्ञ मूल्यांकक के रूप में, जब भी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड आवश्यक समझे	**प्रोन्नतिः** केंद्रीय अप्रत्यक्षकर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन स्तर-7 में वेतनमान (44900-142400 रुपए) में ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित इंस्पेक्टर (परीक्षक) तथा जिसने विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। **टिप्पणः-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार की जाएगी परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या प्रात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' की विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) में निम्न बातें सम्मलित हैः-** 1. सीमाशुल्क या केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्त -अध्यक्ष 2. संबंधित आयुक्त - सदस्य; 3. संवर्ग नियंत्रक आयुक्तालय के अपर आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी** 1. सीमाशुल्क या केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्त - अध्यक्ष 2. संबंधित आयुक्त - सदस्य 3. संवर्ग नियंत्रक आयुक्त के अपर आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए 12018/02/2012-एडी. IIए]

अवनीश प्रताप सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2021

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Revenue (Customs Appraiser) Recruitment Rules, 1988, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Appraiser in the Commissionerates of Customs under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Revenue Appraiser Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of the said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person - ,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Appraiser.	**1194***(2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 (Rs. 47600 -151100/-) in the pay matrix and Level 9 (Rs. 53100 – 167800/-) in the pay matrix after completion of four years of regular service.	Selection

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servant up	Qualification: **1. Metallurgical Expert:** (i) Degree in Metallurgy of a recognised University;	Age: No. Educational qualification: No.	Two years for direct recruits.

to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by UPSC.	(ii) Two Years' Experience as a Metallurgist. **2. Jewellery Expert:** (i) Master Degree in Geology of a recognised University; (ii) Two years' experience of evaluation of precious stones, jewellery (old and new and precious metals). Desirable: Diploma in Gemology. **3. Chemical and Drugs Expert:** (i) Master's degree in Organic Chemistry, Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a recognised University; (ii) Two Years' experience in Chemical and Drugs. **4. Machinery Expert:** (i) Degree in Mechanical or Electrical Engineering of a recognised University; (ii) Two years' experience as a Mechanical or an Electrical Engineer. **5. Textile Expert:** (i) Degree in Textile Technology of a recognised University; (ii) Two Years' experience as a Textile Technologist. **6. Petroleum Technologist:** (i) Master's Degree in Organic Chemistry or Degree in Petroleum Technology of a recognised University. (ii) Two Years' experience in the production or testing of petroleum products. **7. Electronics Expert:** (i) Degree in Electronics Engineering of a recognised University; (ii) Two Year experience as an Electronic Engineer. **8. Leather Technology Expert:** (i) Degree in Leather Technology of a recognised University; (ii) Two Years' experience as a Leather Technologist. **9. Plastic Tech:** Bachelor of Science (Technology) or Bachelor of Technology of a recognised University with subject as Polymer or Plastics Technology. **10. Paper Tech:** (i) Bachelor of Science (Technology) or Bachelor of Technology of a recognised University with special		

	subject as Paper Technology; (ii) Two Year's experience in Paper Factory. **11. Information Technology and Computing:** (i) Master in Computer Applications or Bachelor in Information Technology or Bachelor of Technology with Information Technology as a special subject of a recognised University. (ii) Two years post qualification experience in computer application or Information Technology.. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection; the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various method	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation /absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
95% by Promotion 5% by Direct Recruitment as expert Appraiser in various categories as and when considered necessary by the Central Board of Indirect Taxes and Customs	**By promotion:** Inspector (Examiner) under the Central Board of Indirect Taxes and Customs in the Level-7 (Rs.44900-142400) in pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the respective field as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Jurisdictional Chief Commissioner of Customs or Central GST and Central Excise - Chairman; 2. Commissioner concerned -Member; 3. Additional Commissioner (Personnel and Vigilance) of the Cadre Controlling Commissionerate -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

	qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered, provided, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Jurisdictional Chief Commissioner of Customs - Chairman; 2. Commissioner concerned -Member; 3. Additional Commissioner (Personnel and Vigilance) of the Cadre Controlling Commissionerate -Member.	

[F. No. A-12018/02/2012-Ad.IIA]

AVNEESH PRATAP SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.27 20:19:46 +05'30'